रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 249] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 1972/वैशाख 28, 1894

No. 249] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 1972/VAISAKHA 28, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 18th May 1972

S.O. 361(E)/IDRA/19(1)/72/1.—Whereas it appears to the Central Government to be necessary that the Transformer Oil should be made available to the consumers at a fair price;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 18G and 19 of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), and in supersession of the Order published with the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, No. S.O. 5245/IDRA/19(1)/71, dated the 25th November, 1971, the Central Government hereby authorises Shri V. R. Mehta, Cost Accounts Officer of the Cost Accounts Branch of the Government of India in the Ministry of Finance, New Delhi, to exercise the powers specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1) of section 19 of the said Act in so far as they relate to manufacture or production of Transformer Oil pertaining to the industry specified in sub-item (2) of item 2 of the First Schedule to the said Act for obtaining the requisite information from all manufacturers of the said product whether in a conglomerate industrial unit or otherwise and to submit a report regarding fixation of fair selling price of this products.

[No. F. 9(31)L.P./71]

S. K. SAHGAL Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 मई, 1972

का० आ० 361 (अ)/आई० डी० आर० ए०/19(1)/72/1.—यतः यह प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार के लिए यह आवश्यक है कि ट्रान्सफार्मर आयल (Transformer Oil) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध होना चाहिए।

अतः, अब, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धाराएं 18 जी एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश, जिसका भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या कानूनी आदेश 5245/आई० डी० आर० ए/19(1)/71, दिनांक 25 नवम्बर, 1971 के साथ प्रकाशन हुआ था, का अतिक्रमण करते केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (नई दिल्ली) के लागत लेखा शाखा के लागत लेखाधिकारी श्री वी०आर० मेहता को, क्या एक संपिंडन औद्योगिक यूनिट में अथवा किसी अन्य पद्धति से ट्रान्सफार्मर आयल के समस्त विनिर्माताओं से आवश्यक सूचना प्राप्त करने तथा इस उत्पाद के उचित विक्रय मूल्य के निर्धारण के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद–2 के उप-मद (2) में उल्लिखित उद्योग के ट्रान्सफार्मर आयल के विनिर्माण अथवा उत्पादन के बारे में; उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के (क), (ख) तथा (ग) खन्डों में विनिर्दिष्ट शक्तियों के प्रयोगार्थ, एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

[संख्या फा० 9(31)ला० पौ०/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972